

फा. सं. सीबीआईसी-20010/12/2026-जीएसटी

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी पॉलिसी विंग

कक्ष सं. 16039, कर्तव्य भवन-I
नई दिल्ली, दिनांक: 25 जुलाई, 2026

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त (सभी)

प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सभी)

महोदय/महोदया,

विषय: वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा अपील दाखिल किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण (जहां डीजीजीआई मामलों में उभयनिष्ठ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा मूल आदेश पारित किए गए हों) - के संदर्भ में।

अधिसूचना सं. 02/2022-केंद्रीय कर दिनांक 11 मार्च, 2022 की ओर सादर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके माध्यम से अधिसूचना सं. 02/2017-केंद्रीय कर दिनांक 19 जून, 2017 में पैरा 3क और तालिका V जोड़ी गई थी (तथा जिसे अधिसूचना सं. 27/2024-केंद्रीय कर दिनांक 25 नवंबर, 2024 द्वारा और संशोधित किया गया), ताकि निर्दिष्ट केंद्रीय कर आयुक्तालयों के अपर/संयुक्त आयुक्तों (जिन्हें इसके पश्चात् "उभयनिष्ठ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी" या "सीएए" कहा जाएगा) को, माल और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (जिसे इसके पश्चात् "डीजीजीआई" कहा जाएगा) के अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन हेतु, अखिल भारतीय अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जा सके।

2. इसके अतिरिक्त परिपत्र सं. 169/01/2022-जीएसटी दिनांक 12 मार्च, 2022 तथा परिपत्र सं. 239/33/2024-जीएसटी दिनांक 4 दिसंबर, 2024 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिनमें डीजीजीआई के अधिकारियों द्वारा अन्वेषित मामलों के संबंध में कारण बताओ

नोटिसों को सीएए को न्यायनिर्णयन हेतु आवंटित करने तथा आदेश पारित करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

3. इसके अलावा, परिपत्र सं. 250/07/2025-जीएसटी दिनांक 24 जून, 2025 के माध्यम से, सीएए द्वारा पारित आदेशों के संबंध में समीक्षा प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विभाग द्वारा अपील के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

4. क्षेत्रीय संरचनाओं से ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें अपीलीय प्राधिकारी के आदेश (जहां डीजीजीआई मामलों के संबंध में उभयनिष्ठ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा मूल आदेश पारित किया गया हो) के विरुद्ध, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'जीएसटीएटी' कहा जाएगा) के समक्ष विभाग द्वारा अपील दाखिल करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है:

(क) ऐसे सीएए मामलों में अपीलीय प्राधिकारी के ऐसे आदेशों के संबंध में समीक्षा प्राधिकारी कौन होगा?

(ख) ऐसे सीएए मामलों में जीएसटीएटी के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए कौन-सा अधिकारक्षेत्रीय प्राधिकारी उत्तरदायी होगा? और

(ग) क्या ऐसे सीएए मामलों में जीएसटीएटी के समक्ष अपील, कराधेय व्यक्ति/नोटिसी के स्थान पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली जीएसटीएटी की पीठ के समक्ष दाखिल की जानी आवश्यक है, अथवा सीएए के आयुक्तालय पर अधिकारिता रखने वाली जीएसटीएटी की पीठ के समक्ष दाखिल की जानी है।

5. जीएसटीएटी का गठन सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 109 के अंतर्गत किया गया है। जीएसटीएटी की पीठों का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र, जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर उक्त धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. [एस.ओ. 3048\(ई\) \[फा.सं. ए-50050/150/2008-सीईएसटीएटी-डीओआर\]](#) दिनांक 31 जुलाई, 2024 (यथा समय-समय पर संशोधित) के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। जीएसटीएटी के समक्ष अपीलें सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 112 के प्रावधानों द्वारा शासित होती हैं।

6. इस विषय की जांच केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से की गई है। ऐसे मामलों (जहां डीजीजीआई मामलों में सीएए द्वारा मूल आदेश पारित किए गए हों) में जीएसटीएटी के समक्ष विभागीय अपील दाखिल करने की प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा, ऐसे सीएए मामलों में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा तथा ऐसे अपीलीय प्राधिकारी के आदेश

के विरुद्ध विभाग द्वारा अपील दाखिल करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी करता है:

(क) **अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश का संसूचन:** अपीलीय प्राधिकारी, उभयनिष्ठ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश से उत्पन्न अपील के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 के अंतर्गत अपील-आदेश पारित करने के पश्चात्, उक्त अपील-आदेश को सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा, तथा उभयनिष्ठ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी पर अधिकारिता रखने वाले सीजीएसटी आयुक्तालय के प्रधान आयुक्त/आयुक्त को भी उक्त आदेश की एक प्रति ईमेल के माध्यम से, भौतिक प्रति सहित, भेजेगा।

(ख) उभयनिष्ठ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी पर अधिकारिता रखने वाले सीजीएसटी आयुक्तालय के प्रधान आयुक्त/आयुक्त, ऐसे मामलों में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित उक्त अपील-आदेश का परीक्षण करेंगे, आवश्यकता होने पर यथाशीघ्र डीजीजीआई से टिप्पणियां तथा इनपुट प्राप्त करने के पश्चात्, और वे उक्त मूल आदेश में सम्मिलित सभी कराधेय व्यक्तियों/नोटिसियों के क्षेत्राधिकारी सीजीएसटी प्रधान आयुक्त/आयुक्तों को अपनी सिफारिशों सहित उक्त टिप्पणियां अग्रेषित करेंगे।

(ग) **समीक्षा प्राधिकारी:** किसी विशेष कराधेय व्यक्ति/नोटिसी का क्षेत्राधिकारी सीजीएसटी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, ऐसे सीएए मामलों में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के संबंध में, अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले उक्त कराधेय व्यक्ति/नोटिसी के संबंध में, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 112 की उपधारा (3) के अंतर्गत समीक्षा प्राधिकारी होगा। उक्त समीक्षा प्राधिकारी (जिसमें उभयनिष्ठ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी पर अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त/आयुक्त भी सम्मिलित हैं), सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 112 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार, उपर्युक्त पैरा (ख) में संदर्भित टिप्पणियों और सिफारिशों को, अन्य बातों के साथ-साथ, ध्यान में रखते हुए, ऐसे सीएए मामलों में अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की वैधता और औचित्य के संबंध में मामले का परीक्षण करेगा। जहां समीक्षा प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसे सीएए मामलों में अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा अपील दाखिल की जानी आवश्यक है, वहां वह उक्त आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने तथा उक्त आदेश से उत्पन्न होने वाले ऐसे बिंदुओं के निर्धारण हेतु, जैसा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, आदेश द्वारा, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को जीएसटीएटी के समक्ष विभाग द्वारा अपील दाखिल करने तथा उसका अनुसरण करने हेतु नियुक्त और निर्देशित कर सकता है।

(घ) ऐसे सीएए मामलों में अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध, प्रत्येक कराधेय व्यक्ति/नोटिसी के संबंध में, उस कराधेय व्यक्ति/नोटिसी के क्षेत्राधिकारी सीजीएसटी

आयुक्तालय द्वारा, उक्त कराधेय व्यक्ति/नोटिसी पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली जीएसटीएटी की संबंधित पीठ के समक्ष, अलग-अलग अपीलें दाखिल की जानी होंगी।

(ड) जीएसटीएटी के समक्ष ऐसा आवेदन किए जाने के पश्चात्, क्षेत्राधिकारी सीजीएसटी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, उभयनिष्ठ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी पर अधिकारिता रखने वाले सीजीएसटी आयुक्तालय के प्रधान आयुक्त/आयुक्त को भी, इस संबंध में दाखिल की गई अपील की एक प्रति सहित, सूचित करेंगे। जहां समीक्षा प्राधिकारी की यह राय हो कि सीएए मामलों में अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई अपील दाखिल किया जाना आवश्यक नहीं है, वहां वह उभयनिष्ठ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी पर अधिकारिता रखने वाले सीजीएसटी आयुक्तालय के प्रधान आयुक्त/आयुक्त को सूचित करेगा।

7. उपर्युक्त अनुदेशों के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो, तो कृपया उसे बोर्ड के संज्ञान में लाया जाए।

भवदीय,

(गौरव सिंह)

आयुक्त (जीएसटी)